

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 691 /XXV-12 /2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक 23 जुलाई, 2015

सेवा में,

श्री हर्ष वर्द्धन,
पुत्र श्री रयामाचरण शास्त्री,
ग्राम व पो0आ0-नौसर,
तहसील- खटीमा,
जिला- उधमसिंहनगर।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु पर चाही गयी सूचना के संबंध में आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा - 19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तों की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

१०।६

सेवा में, श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निवचन आयोग
उत्तराखण्ड निवचन आयोग, देहरादून

विषय :- लोक सूचना अधिनियम 2005 के तहत
सूचना प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय, प्रार्थी अधोहस्ताक्षरी, लोक सूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करता है; अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को निम्न विवरणों के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जावे :-

- 1- प्रार्थी का नाम :- हर्ष बहुरिन
- 2- पिता का नाम :- श्री श्यामानन्द शास्त्री
- 3- पता-चर / सम्पर्क का पता :-
ग्राम न पो 0 आ - नौसर
नहलीस - खदीमा
जिला - उधम सिंह नगर
पिन - 262308

4- इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण :-

अः महोदय सादर निवेदन है कि पूर्व में बालिंग होने की उम्र 22 वर्ष थी, बाद में 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिंग माना जाने लगा तथा मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, तथा पूर्व में 22 वर्ष पूर्ण होने पर बालिंग माना जाता था तथा मतदान का अधिकार बालिंग होने पर मिलता था, कृपया उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार में व्यक्ति को मिले तिलि से तिलि तिलि तिलि - 22 वर्ष पूर्ण होने पर बालिंग मानते हुए मतदान का अधिकार प्रदान किया गया तिलि तिलि से 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिंग माना जाने लगा व मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ,

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपके कार्यालय अभिलेखों में कोई शासनादेश / राजपत्र / जी.ओ. आदि सरकार द्वारा जारी किया होने से उसकी प्रतिलिपि व प्रमाणित प्रतियां बतौर सूचना के उपलब्ध कराने की कृपा करें।

- 5- सूचना जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित होने का विवरण (यदि लागू हो) :- लागू नहीं;
- 6- सम्बन्धित विभाग का नाम :- निवचन आयोग उत्तराखण्ड
- 7- गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) :- लागू नहीं;
- 8- श्रुत का विवरण :- 10/- रु० का गैर न्यायिक दस्तावेज नं - 25 AA 501419 - मुद्रा में संलग्न है;
- 9- प्रार्थना पत्र भेजने की तिथि :- दिनांक 08-07-2015 को राधे 0 डाल से प्रेषित
- 10- आवेदन के हस्ताक्षर :-

दिनांक :- 8/7/2015

प्रार्थी
हर्ष बहुरिन
पुत्र श्यामानन्द शास्त्री
ग्राम न पो 0 - नौसर
नहलीस, उधम सिंह नगर

श्री लैमवाल

कु. तत्काल
R.P. Act 1950 की
धारा-19 का
अनुच्छेद 2(1)
अनुच्छेद 2(2)

20/7/15
5:0

23/7/15

को प्राप्त
नम